

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :- 2015/00135

पत्रावली पर गौर किया गया प्रार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है, वह जरिये दस्तबरदारी प्राप्त होगा न कि धारा 88 आरटीएक्ट के तहत प्रार्थी को बताया गया कि वह तहसील में जाकर हकत्याग की प्रक्रिया के जरिये अनुतोष प्राप्त करें।  
प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है।

